



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)

Phone/Fax No. - 01371-237084

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

दिनांक 24 / 09 / 2024

पत्रांक 1397/3 उत्तरकाशी
सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

विषय : राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के राज्य योजना के अन्तर्गत मरगांव-जसपुर-चमियारी से उलण मोटर मार्ग का नव निर्माण 9.00 किमी० लम्बाई हेतु 4.879 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/20224/2016)

संदर्भ :- आपका पत्रांक 4486/12-1, कोटबंगला दिनांक 20.06.2024।
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि 05 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों की अतिरिक्त धनराशि जमा कर चालान सहित सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

क्र०स०	शर्तों / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन संख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3 (क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 9.758 हे० ग्राम इन्द्रा की सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.758 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू० 2719213.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 4.879 हे० वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 9.758 हे० हेतु चयनित स्थल ग्राम इन्द्रा तहसील चिन्धालीसौड़ खसरा संख्या 1727, 1749 व 1750 रकवा क्रमशः 0.989, 4.127 व 4.642 हे० में से 9.758 हे० सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है।
(ख)	गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण/नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। एफ०सी०ए०, 1980 की guideline के para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष	इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राजस्व विभाग के द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया जा चुका है। (खतौनी की नकल संलग्न है।)

	में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
(ग)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	पार्श्व शर्त का अनुपालन प्रभगीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक असुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	इस भारत के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रु० 41,22,755.00 एन०पी०वी० की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न चालन, ऑनलाइन चैक, आई०) पुनः वर्तमान दरों पर एन.पी.वी. की संशोधित धनराशि रु० 2185061.00 की चालान द्वारा उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896120224977 Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 में जमा कर दी गई है।
5.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2022, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 9.758 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत 9.758 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत रु० 2185061.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या - 150896120224977 में रु० 2185061.00 के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा चालान की छायाप्रति संलग्न)
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त, अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उसका भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि से पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 37 चीड़ वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास करेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

7.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा चालान तैयार कर रु० 2185061.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा Union Bank of india FSC Centre, 21/1 III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या - 150896120224977 में रु० 2185061.00 के खाते में जमा करा दी गई है। (जमा पर्ची संलग्न)
8.	गाईडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9.	एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11.	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1988 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृत यदि लागू ही प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14.	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16.	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लागत पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	मार्ग के निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि उपयोग में न लाये जाने के कारण प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा सीमांकन हेतु धनराशि की मांग नहीं की गयी है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

19.	जाएगा। केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कारवाई होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21.	पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24.	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https:// parivesh-nic/in/) पर अपलोड होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या आवश्यक प्रपत्रों/अभिलेखों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पर अपनी संस्तुति उपरान्त नोडल कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।



(इं० मनोज दास)
अधिसासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्वालीसौड (उत्तरकाशी)।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त लो०नि०वि०, उत्तरकाशी।
3. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त मुनि की रेति, ऋषिकेश।
4. सहायक अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्वालीसौड।

अधिसासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्वालीसौड (उत्तरकाशी)।

प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।




अधिशायी अभियन्ता


निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त का अनुपालन हेतु एफ०आर०ए० 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।



कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)।




सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगे कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र में स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति न होने का अनुपालन किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-एफ०सी० दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्ग्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के इस अनुसार वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिशारी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।


प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पार्श्व शर्त के अनुसार कर दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।



अधिसासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

Print Date - 3-8-2024

Transaction ID - WO410042340/241007

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देखें अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

1- जनपद का नाम : उत्तरकाशी
2- कोषागार का नाम : उत्तरकाशी
3- देयक की अवधि कब से कब तक
4- रिकार्ड कोड
5- कोषागार/उपकोषागार का कोड
6- देयक पंजी की क्रम संख्या
7- वाउचर संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)
8- मतदेय/भारित : मतदेय
9- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 मुख्य लेखाशीर्षक + 2 उपमुख्य शीर्षक + 3 लघुशीर्षक + 2 उपशीर्षक + 2 ब्योरेवार शीर्षक)
10- आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी
11- आहरण वितरण अधिकारी का कोड
12- अधिष्ठाता का नाम : अधिशासी अभियंता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 उत्तरकाशी
13- अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य
14- सोर्स कोड : 1
15- सेक्टर कोड : 2
16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण
मुख्य लेखाशीर्षक - (5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक - (04)जिला तथा अन्य सड़के
लघुशीर्षक - (337)सड़क निर्माण कार्य
उपशीर्षक - (03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक - (04)एन0पी0वी0 का भुगतान / भूमि अधिग्रहण

वाउचर दिनांक

वजट की वर्तमान स्थिति			
मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल वजट	इस विल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष वजट
54-भूमि क्रय	8435129	4683796	3751333

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	21,85,061
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	21,85,061

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	21,85,061

प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं अधिशासी की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

DA/DAO/DAO/1
Constn. Division P.W.D.
Chynalisour (Uttarkashi)

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
Executive Engineer
Construction Division P.W.D.
(Chynalisour (Uttarkashi))

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
(केवल काउन्टरसाइन्ड कटीजैसी के प्रकरण में ही लागू होगा)
(पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

धनराशि ₹0 21,85,061 (Rupees Twenty One Lacs Eighty Five Thousand Sixty One Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

संक्रमण द्वारा ₹0 -

सकल धनराशि ₹0 21,85,061

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Sl. No.	Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
1	OP410042340/241005 Mr Uttarakhal Campa	Saving	UBIN0996335	150896120224977	2185061	0	0	2185061
					2185061	0	0	2185061

सहायक अभियंता
वि०ख०लो०वि०
चिन्वालीसौड

Ch) मरगांव-जसपुर-चिगाड़ी से उलठा ग्रेटर मार्ग

Passed for Rs. 2185061/-

FORM 28 HAND RECEIPT

(See Chapter X, Paragraphs 293, 290 & 304)

सहायक अभियंता
वि०ख०लो०वि०
चिन्वालीसौड
Date

Cash Book Voucher

(1) Pay by Cheque/Cash Rs. (21,85,061/-)

to Chn. उत्तरांचल कंपनी

(2) Paid by me

RECEIVED from the कृषिपाली अभियंता विभाग खंड वि० in charge of चिन्वालीसौड

Sub-Division सहायक अभियंता Division the sum of Rs. (21,85,061/-)


Name of Work of purpose for which payment is made जसपुर उत्तरकाशी के विकास खंड विकास

के मरगांव-जसपुर-चिगाड़ी से उलठा ग्रेटर मार्ग के नव निर्माण हेतु प्रा. 8 नव 80 का न अति

Verified for Rs. रु. 21,85,061/- Amount in Voucher

S.D.O.

Signature of payee



Despatch No. 2185061

रु. 21,85,061/- की धनराशि - 21,85,061/-
A/S for Rs. 21,85,061/-
[Signature]

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6120224977
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/03/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	2185061/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Eighty-Five Thousand and Sixty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120224977 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-07-2024

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6120224977
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/03/2017/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Construction Division PWD, Chinyalisaur Uttarkashi
Amount(in Rs)	2185061/-

Amount in Words :Twenty-One Lakh Eighty-Five Thousand and Sixty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896120224977 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank